न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2014 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती जसोदा बाई पत्नी पुखराज जी तेली, निवासी खाखड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मन्नालाल पिता भग्गा जी मेघवाल, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमला पुत्री नौजा जी मेघवाल, निवासी खाखडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रूपा पिता चेना जी मेघवाल, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. धन्ना पिता चेना जी मेघवाल, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. वेणीराम पिता लोगर जी मेघवाल, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. पेमा पिता लोगर जी मेघवाल, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती मीरा पुत्री लोगर जी पत्नी नाथू जी मेघवाल, निवासी दादीया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
8. अमरा पिता धुला जी मेघवाल, निवासी दादीया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
9. भीमा पिता धूला जी मेघवाल, निवासी दादीया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
10. तुलछा पिता परथा जी मेघवाल, निवासी दादीया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
11. दूदा पिता परथा जी मेघवाल, निवासी दादीया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

12. खेमा पिता परथा जी मेघवाल, निवासी दादीया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

13. भंवरी पत्नी स्वर्गीय रामसिंह जी राजपूत, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

14. श्रीमती सज्जन बाई पत्नी लहरसिंह जी राजपूत, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

15. श्रीमती केसर बाई पुत्री स्वगीय रामसिंह जी पत्नी रामसिंह जी राजपूत, निवासी भीम जी का गुडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती डाकु बाई पुत्री स्वर्गीय रामसिंह जी पत्नी खेमसिंह जी राजपूत, निवासी तिरोल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

17. हीरसिंह पिता स्वर्गीय रामसिंह जी राजपूत, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

18. श्रीगती सवागी बाई पत्नी स्वर्गीय खेमसिंह जी राजपूत, निवासी सुन्दरिया आम्बा, सेमड, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

19. मनोहरसिंह पिता स्वर्गीय खेमसिंह जी राजपूत, निवासी सेमड, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

20. श्रीमती सूरज बाई पुत्री स्वर्गीय खेमसिंह जी पत्नी सुमेरसिंह जी राजपूत, निवासी विसमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

21. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्वर्गीय खेमसिंह जी पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी सेमड़, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

22. किशनसिंह पिता स्वर्गीय खमसिंह जी राजपूत, निवासी सेमड, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

23. गोपालसिंह पिता स्वर्गीय खेमसिंह जी राजपूत, निवासी सेमड, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

24. श्रीमती मानी बाई पत्नी स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

25. खुमाणसिंह उर्फ कुकसिंह पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

26. श्रीमती कुंवर पुत्री भूरसिंह जी पत्नी मदनसिंह जी राजपूत, निवासी दुलावतों का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

27. श्रीमती सोहन कुंवर पुत्री भूरसिंह जी पत्नी शिवसिंह जी राजपूत, निवासी भोलाया काहडिया, तहसील नाथद्वारा, जिला उदयपुर (राज.)

28. भीमसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

29. धीरसिंह पिता जवानसिंह जी राजपूत, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

30. श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी हीरालाल जी तेली, निवासी खाखडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

31. उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा
दिनांक 27.03.2014 प्र॰ सं॰ 92/2010

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गिरजा शंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाषक रे.सं. 1 से 12

3. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पो. सं. 30

———::———

निर्णय दिनांक

28–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 12 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओबरा खुर्द में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अंकित भूमियां अलग–अलग खातेदारान की तरफ से हम प्रार्थीगण के पूर्वजों को मुर्तहीन रहन बिल कब्ज रखी तथा उसके बाद विभिन्न खातेदारों से वर्ष 1957 में विकय कर कब्जा प्रार्थीगण के पूर्व

हितधारियों को सिपुर्द कर दिया तब से हम प्रार्थीगण के पूर्व हितधारियों द्वारा काश्त की जा रही है, किन्तु विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करावें, न उक्त भूमि पर बने मकान से प्रार्थीगण को बेदखल करें तथा न ही वृक्ष कांटे, न ही कोट–बाड़ नष्ट करें, न ही कुए से पिलाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, न उक्त कार्य किसी अन्य से करावें।

प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी, जिसके खण्डन का जवाब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–03–2014 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 7 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11–06–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी होने के बाद अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त को गयी, लेकिन उसके पति न्यायालय में नौकरी करने से समय नहीं मिल पाने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 27–03–2014 को निर्णय अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में किया गया है तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा खण्डन का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। इसके

अलावा उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को कब और किस प्रकार से हुई, यह भी उसके द्वारा नहीं बताया गया है, जबकि देरी से अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रत्येक दिन की देरी एवं उसके कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–03–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर